<u>न्यायालयः—भीष्म प्रसाद पाण्डेय विशेष न्यायाधीश (एस.सी. / एस.टी. एक्ट)</u>
<u>महासमुन्द (छ.ग.)</u>

CNR- CGMA 01-002084-2022
जमानत याचिका क्रं: 1094 / 2022

सोनूलाल साहू उम्र 56 वर्ष पिता बहोरन साहू
निवासी ग्राम खैरटखुर्द, तहसील बागबाहरा,
थाना कोमाखान, जिला महासमुंद (छ.ग.)

———<u>आवेदक / अभियुक्त</u>

<u>विरूद्ध</u>

छ.ग. राज्य
द्वारा— थाना कोमाखान
जिला— महासमुंद (छ.ग.)

<u>———————अनावेदक / अभियोजन</u>

———————————————————————————————————————

29 / 12 / 2022 आवेदक / अभियुक्त सोनूलाल साहू द्वारा श्री शैलेन्द्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक राज्य द्वारा श्री प्रकाश देवकर विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

नोटिस पर प्रार्थी स्वतः उपस्थित।

02. आवेदक / अभियुक्त की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—438 के अन्तर्गत आवेदन पेश कर निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना कोमाखान जिला महासमुंद में दर्ज अपराध क्रमांक 176 / 2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. एवं अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(10) के अपराध में उसे गिरफतार किए जाने की आशंका है। वह निर्दोष है, फर्जी आधारों पर उसके विरूद्ध मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। आवेदक ग्राम खैरटखुर्द का स्थायी निवासी होकर प्रतिष्ठित नागरिक, कृषक है। आवेदक के निवास के सामने प्रार्थी तथा उसके सहयोगियों के द्वारा अश्लील गाली गलौच किए जाने के विरोध करने

के कारण द्वेषवश मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। आवेदक ग्राम खैरटखुटी थाना कोमाखान जिला महासमुंद छ.ग. का स्थाई निवासी है, जिसके अन्यत्र फरार होने एवं साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना नही है। जमानत की प्रत्येक शर्त का पालन करने तत्पर है, अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

03 आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त ने स्वंय का शपथ पत्र पेश की है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत यह प्रथम जमानत याचिका है, इसके अतिरिक्त इस धारा के तहत् अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी न्यायालय या माननीय छ.ग उच्च न्यायालय बिलासपुर के लम्बित नही है और न ही निराकृत हुआ है, इसी शपथ पत्र के द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति का भी समर्थन किया गया है।

04. आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

05. थाना कोमाखान जिला महासमुंद से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

06. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पर तर्क किया गया है कि घटना गुपचुप ठेला में अभियुक्त अपने साथियों के साथ खड़ा होकर आवेदक को गाली गलौच किया था जिसे आवेदक ने प्रतिवाद किया था। उसके रिपोर्ट आवेदक द्वारा की गई है। आवेदक प्रार्थी से पूर्व परिचित नही है। प्रार्थी की जाति की जानकारी आवेदक को नही है। जातिगत गाली गलौच का मामला नही बनता है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नही है। थाना कोमाखान अंतर्गत खैरखूर्द का स्थाई निवासी है। जमानत की शर्तो का पालन करने तैयार है। अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

07. विशेष लोक अभियोजक ने तर्क किया है कि केस डायरी की सामग्री से आवेदक/अभियुक्त ने प्रार्थी से जाति सूचक गाली गलौच किया जाना प्रमाणित है। एक्ट्रोसिटी एक्ट की धारा 18 अनुसार अग्रिम जमानत की प्रार्थना का आवेदन पोषणीय नही है, उक्तानुसार आवेदन निरस्त करने का निवेदन है।

08. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15A के अनुसार सूचना पर उपस्थित प्रार्थी द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध करते हुए जमानत की प्रार्थना निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

09. थाना कोमाखान जिला महासमुंद के अपराध क्रमांक 176/2022 धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. एवं धारा 3(1)(द)(ध) एस.सी.एस. टी. एक्ट की प्राप्त केस डायरी अनुसार दिनांक 24/11/2022 को दोपहर 03 बजे गांव के मिडिल स्कूल के पास प्रार्थी और उसके साथी संतराम, नोखेलाल, धनीराम, दयाराम चाट ठेला में चाट खा रहे थे, एवं बातचीत कर रहे थे उसी समय गांव का सोनू लाल उनके पास आया और पुरानी बातो को लेकर अश्लील गाली गलौच करते हुए जाति सूचक गाली बोलते हुए मारपीट किया, चोट पहुचाया, धमकी दिया जिसकी रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान प्रार्थी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, एक्ट्रोसिटी एक्ट का अपराध जोड़ा गया है।

10. केस डायरी की सामग्री से प्रार्थी की सूचना पर दर्ज रिपोर्ट एवं प्रार्थी के केस डायरी कथन में गांव का सोनू साहू पुरानी बातों को लेकर उसे गंदी–गंदी गाली गलौच करते हुए जाति सूचक गाली गाड़ा घसिया नीच जाति के हो, तेरा गांव में दादागिरी नही चलेगा, कह कर हाथ मुक्का से मारपीट किया, जाते–जाते बोला कि आज तुम बच गये नही तो जान से खतम कर देता। गालियॉ बहुत बुरा लगी एवं गाड़ा घसिया नीच जाति का कहने पर बहुत अपमानित महसुस कर रहा हूँ, बताया जाना उल्लेखित है। अन्य साक्षी के केस डायरी कथन से प्रार्थी के कथन का समर्थन होना दर्शित हो रहा है।

11. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रार्थी के पूर्व परिचित नही होने तथा जाति की जानकारी नही होने से जातिगत मामला नही बनने का तर्क किया है। रिपोर्ट एवं केस डायरी कथन में प्रार्थी एवं अभियुक्त दोनों एक ही ग्राम खैरखुर्द थाना कोमाखान के निवासी होना दर्शित

है। प्रार्थी ने पुरानी बातो को लेकर घटना कारित करने का तर्क प्रकट किया है। विवेचना अधिकारी के संकलित सामग्री से प्रथमदृष्टया अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत यथा संशोधित अधिनियम क्रमांक 01 / 2016 की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) अपराध का मामला होना प्रकट हो रहा है।

12. अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का लागु न होना धारा 18 एवं 18A में उपबंधित है, जो निम्नानुसार है :–

18. अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना, – संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफतार के किसी मामले के सम्बध में लागू नही होगी।

18क. किसी जॉच या अनुमोदन का आवश्यक न होना – (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जॉच की आवश्यकता नहीं होगी; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफतारी, यदि आवश्यक हो, से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियेग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे।

13. आवेदक/अभियुक्त ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का होना नही बताया है। प्रार्थी ने गाड़ा अनुसूचिज जाति वर्ग का सदस्य होना बताया है। दर्ज अपराध की विवेचना की जा रही है।

14. अतः अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 18A अनुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द.प्र.स. पोषणीय होना यह न्यायालय नही पाती है। परिणामस्वरूप आवेदक/अभियुक्त सोनू लाल साहू की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र धारा 438 द. प्र.स. निरस्त किया जाता है।

15. प्रार्थी नोटिस पर उपस्थित है, अतः प्रार्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम. 11 के अनुरूप यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता देने के निर्देश सम्बन्धित अजाक थाने को दिये गये हैं, पावती प्राप्त होने पर इस नस्ती में संलग्न की जावे ।

16. जमानत आदेश की प्रति के साथ केस डायरी थाना कोमाखान जिला महासमुंद को सूचनार्थ भेजी जावे।

17. परिणाम दर्ज कर, प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे ।

सही/–
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.एक्ट)
महासमुन्द (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपिः–</u>

थाना कोमाखान जिला महासमुन्द को उनके अपराध क्रमॉकः 176/2022 धारा–294, 323, 506 भा.द.वि. एवं अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(10) की केसडायरी के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सही/–
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.एक्ट)
महासमुन्द (छ.ग.)